न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर ।
दाण्डिक निगरानी संख्या–71 सन् 2025

1. अरविन्द कुमार दूबे, उम्र लगभग 40 वर्ष, पुत्र श्री अमरनाथ
2. अमरनाथ दूबे, उम्र लगभग 81 वर्ष पुत्र स्व० जयनन्दन
   निवासीगण ग्राम साऊपुर, सरवतखानी, थाना चौरी, जिला भदोही।

.....निगरानीकर्तागण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार जरिए कलेक्टर, भदोही–ज्ञानपुर।
2. अरूण कुमार दूबे, उम्र लगभग 60 वर्ष, पुत्र गायत्री प्रसाद दूबे, निवासी ग्राम साऊपुर, सरवतखानी, थाना चौरी, जिला भदोही। .....विपक्षीगण।

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्तागण अरविन्द कुमार दूबे व अमरनाथ दूबे द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण, न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दाण्डिक वाद संख्या–70436/2024 अरूण कुमार दूबे बनाम अरविन्द कुमार दूबे में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के डिस्चार्ज प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

2. संक्षेप में आधार निगरानी इस प्रकार हैं कि अवर न्यायालय में पुनरीक्षणकर्तागण ने तलबी आदेश दिनांक 04.12.2024 अन्तर्गत धारा 115/27, 352, 351(2) (3) बी.एन.एस. में उन्मोचित होने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अवर न्यायालय ने दिनांक 08.05.2025 को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है। अवर न्यायालय ने उन्मोचन प्रार्थनापत्र के सुनवाई में विधिक भूल की है, विधिक बिन्दुओं पर विचार नही किया गया। अवर न्यायालय में प्रस्तुत परिवादपत्र को पढ़ने से स्वतः समझ आयेगा कि परिवादी ने परिवादपत्र को गढ़कर दाखिल किया है। परिवादी ने अपने परिवादपत्र में झूठा वाद कारण पैदा करके परिवादपत्र अवर न्यायालय में संस्थित किया है। अवर न्यायालय ने उन्मोचन प्रार्थनापत्र को खारिज करके विधिक भूल की है, विधि सम्मत नही है। अवर न्यायालय में परिवादपत्र में परीक्षित साक्षी हितबद्व है। परिवादी ने धारा 223 बी०एन०एस०एस० अरूण कुमार दूबे में व साक्षी पी०डब्लू० 1 सौरभ दूबे के बयान में भिन्नता है। अवर न्यायालय ने परिवादी के बयान का सम्यक परिशीलन न करके सरसरी तौर पर तलब कर लिया, जो कानूनन गलत है। न्याय व विधि दृष्टि में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.05.2025 खण्डित किये जाने योग्य है। उपरोक्त आधारों को व्यक्त करते हुये अंत में यह याचना की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.05.2025 को निरस्त किया जाय।

3. विपक्षी संख्या 2 अरूण कुमार दूबे ने वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण के विरूद्ध अपनी आपत्ति कागज संख्या **20 ख** दिनांकित 03.09.2025 प्रस्तुत कर कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा पारित समनिंग आदेश दिनांक 04.12.2024 प्रापर, जस्ट व लीगल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुन्जाईश नही है। निगरानीकर्तागण ने रंजिशन अपराध कारित किया है, जिसके बावत विपक्षी संख्या 2 अरूण कुमार व गवाहान के बयानात के आधार पर निगरानीकर्तागण धारा 115/27, 352, 351(2) (3) बी.एन.एस. के अन्तर्गत तलब हुये है। निगरानीकर्तागण ने आपत्ति भी दाखिल किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। निगरानीकर्ता द्वारा डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र बगैर जमानत कराये ही दाखिल किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही तौर पर डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है। निगरानीकर्तागण के विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा लगाये गये आरोप सही व सत्य है। निगरानीकर्तागण की निगरानी की समस्त दफाओं के कथन कत्तई विश्वास योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 को विधि के अनुकूल पारित किया गया है, जो खण्डन योग्य कदापि नही है। उपरोक्त आधारों को व्यक्त करते हुये अंत में याचना की गयी है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 2 की आपत्ति स्वीकार किया जाय।

4. निगरानीकर्तागण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 08.05.2025 की प्रमाणित प्रति, आदेश दिनांक 04.12.2024 की प्रमाणित प्रति, प्रार्थनापत्र धारा 268(2) बी०एन०एस०एस० दिनांक 07.02.2025 की प्रमाणित प्रति, परिवादपत्र दिनांक 07.10.2024 की प्रमाणित प्रति, बयान धारा 223 बी०एन०एस०एस० की प्रमाणित प्रति तथा साक्षी पी०डब्लू० 1 सौरभ के बयान की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण से पूर्व कतिपय विधिक प्रावधानों का उल्लेख आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत सीमित है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने अपनी नजीर **जोहर व अन्य बनाम मंगल प्रसाद व अन्य, (2008) 2 सी.आर.एल.जे. 1627 (सुप्रीम कोर्ट)** ने यह धारित किया है कि इस धारा में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल अपवादस्वरूप ही किया जाना चाहिए, जबकि किसी विधि के बिन्दु में स्पष्टतः कोई त्रुटि हो अथवा न्याय की घोर अवहेलना हो रही हो। जहां विचारण न्यायालय का निर्णय बिना संगत साक्ष्य पर विचार किये अथवा असंगत साक्ष्य पर विचार कर पारित किया गया हो, वहां मामले के गुणदोष पर विचार कर हस्तक्षेप करना और पूरे साक्ष्य का पुर्नमूल्यांकन करना अनुचित होगा।

6. उभयपक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अरूण कुमार दूबे द्वारा दिनांक 08.10.2024 को न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर में प्रस्तुत परिवाद संख्या 70436/2024 में परिवादी अरूण कुमार दूबे ने धारा 223 बी०एन०एस०एस० के तहत स्वयं को तथा धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत साक्षी सौरभ दूबे को परीक्षित कराया। तत्पश्चात न्यायालय ने विपक्षीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी की, जिसके अनुपालन में वे जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा

दिनांक 28.10.2024 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात न्यायालय ने परिवादी के समस्त साक्ष्यों तथा विपक्षीगण की आपत्ति के अवलोकन के उपरान्त अभियुक्तगण/ निगरानीकर्ता अरविन्द कुमार व अमरनाथ को तलबी आदेश दिनांक 04.12.2024 से धारा 115/27, 352, 351(2)(3) बी.एन.एस. के तहत विचारण हेतु तलब किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण ने अपनी जमानते नही करायी, परन्तु दिनांक 07.02.2025 को जरिए अधिवक्ता उन्मोचन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 268(2) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अभियुक्तगण/ निगरानीकर्ता अरविन्द कुमार व अमरनाथ का उन्मोचन प्रार्थनापत्र गुण–दोष पर दिनांक 08.05.2025 को निरस्त कर दिया। जहां तक प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता के इन कथनों का प्रश्न है कि "अवर न्यायालय ने उन्मोचन प्रार्थनापत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है, अवर न्यायालय ने विधिक बिन्दुओं पर विचार नही किया गया, परिवादी ने परिवादपत्र को गढ़कर दाखिल किया है, झूठा वाद कारण दर्शित किया है, परिवादपत्र में परीक्षित साक्षी हितबद्ध है, साक्षी अरूण कुमार दूबे व सौरभ दूबे के बयान में भिन्नता है", तो उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण/ निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत परिवाद में पारित तलबी आदेश दिनांकित 04.12.2024 को चुनौती नही दी है, इस कारण विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा परिवाद संख्या 70436/2024 में पारित तलबी आदेश दिनांकित 04.12.2024 अन्तिम हो जाता है। चूंकि न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर ने परिवाद संख्या 70436/2024 में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अभियुक्तगण अरविन्द कुमार व अमरनाथ के विरूद्ध विचारण हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाने के उपरान्त उन्हे तलबी आदेश दिनांक 04.12.2024 से धारा 115/27, 352, 351(2)(3) बी.एन.एस. के तहत विचारण हेतु तलब किया है, तो उन्हें उन्ही साक्ष्यों के तहत उन्मोचित किये जाने का कोई आधार नही है। जहां तक निगरानीकर्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि परिवादी ने परिवादपत्र को गढ़कर दाखिल किया है, झूठा वाद कारण दर्शित किया है, परिवादपत्र में परीक्षित साक्षी हितबद्ध है, साक्षी अरूण कुमार दूबे व सौरभ दूबे के बयान में भिन्नता है",तो इन तर्को को वह दौरान विचारण, सफाई साक्ष्य के स्तर पर साबित कर सकता है तथा अन्तिम बहस के स्तर पर उठा सकता है। तलबी आदेश अन्तिम हो जाने के पश्चात निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **अत्याचार निरोधी परिषद बनाम दिलीप, (1989) 1 एस.सी.सी. 715** तथा **महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रिय शरण महाराज, 1997 सी.आर.एल.जे. 2248** में यह कहा है कि आरोप विरचन हेतु पर्याप्त आधार से तात्पर्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं, बल्कि अभियुक्त का विचारण किए जाने हेतु पर्याप्त आधार से है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **राजवीर सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 2006 (55) ए.सी.सी. 318** में यह कहा है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यदि गंभीर संदेह पैदा हो तो भी आरोप विरचित किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 2018** में यह कहा है कि अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषिता का निर्धारण विचारण के द्वारा किया जा सकता है, आरोप विरचन के समय नहीं। ऐसी दशा में न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा परिवाद संख्या 70436/2024 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.05.2025, प्रकरण के समस्त तथ्यों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्तागण अरविन्द व अमरनाथ द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण, निरस्त किया जाता है। न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा परिवाद संख्या 70436/2024 अरूण कुमार बनाम अरविन्द कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 08.05.2025 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक–13.07.2026

(डा0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी एक्ट),
भदोही ज्ञानपुर।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित कर उदघोषित किया गया ।

दिनांक–13.07.2026

(डा0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी एक्ट),
भदोही ज्ञानपुर।
JO Code UP1523

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.07.13 16:19:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court